

पत्रांक

/एसआईडीए/

दिनांक

कार्यालय आदेश

श्री दीपक कुमार गर्ग, उप महाप्रबन्धक(प्रो/सा0) का स्थानान्तरण ग्रेटर नोएडा, औद्योगिक विकास प्राधिकरण में हो जाने फलस्वरूप उनके द्वारा देखे जा रहे औद्योगिक क्षेत्रों से सम्बन्धित समस्त कार्य अग्रिम आदेशों तक श्री अरविन्द मोहन सिंह, प्रबन्धक(प्रो/सा0) के द्वारा तत्काल प्रभाव से देखे जायेंगे।

(संजय प्रसाद)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक 2806 - 2812

/एसआईडीए/स्वातंत्र्य मिडिल-140 दिनांक 20/08/2019
Vol-III

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।
2. वित्त नियंत्रक/महाप्रबन्धक(विधि), यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।
3. समस्त अनुभागाध्यक्ष, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।
4. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी/वरिष्ठ प्रबन्धक(सिविल/विद्युत) यूपीसीडा,
5. श्री अरविन्द मोहन सिंह, प्रबन्धक(प्रो/सा0), औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।
6. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।
7. गार्ड फाइल।

(संजय प्रसाद)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

/यूपीसीडा/औ0 क्षे0/

कार्यालय आदेश

औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग, मुख्यालय, कानपुर में दिनांक 09.08.2019 एवं तत्पश्चात् दिनांक 27.08.2019 को स्थानान्तरित कार्मिकों को प्राधिकरण कार्यहित में औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग से सम्बन्धित निम्नानुसार तत्काल प्रभाव से कार्यविभाजन किया जाता है:-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम	सौंपे गये कार्य
1.	श्री के0 के0 गौर, अधीक्षक	नीति विषयक एवं प्राधिकरण बोर्ड से सम्बन्धित कार्य, क्षेत्रीय कार्यालय बरेली एवं एसईजेड, मुरादाबाद से सम्बन्धित पत्रावलियों
2.	श्री गया प्रसाद, अधीक्षक	आईजीआरएस, आरटीआई तथा शासन पत्राचार से सम्बन्धित कार्य एवं क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज एवं अयोध्या से सम्बन्धित पत्रावलियों
3.	श्री ए0 यू0 सिद्दीकी, अधीक्षक	उद्योग बंधु, निवेश मित्र, रेट रिवीजन, स्टाफ मीटिंग एवं एमआईएस से सम्बन्धित कार्य एवं क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ से सम्बन्धित पत्रावलियों
4.	श्री रामखिलाड़ी, सहा0 श्रेणी-प्रथम	स्थापना एवं नजारत सम्बन्धी समस्त कार्य एवं क्षेत्रीय कार्यालय सूरजपुर एवं ईपीआईपी से सम्बन्धित पत्रावलियों
5.	श्री अमित मिश्र, सहा0 श्रेणी-द्वितीय	एमआईएस/स्टाफ मीटिंग एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के लम्बित प्रकरणों के एमआईएस से सम्बन्धित कार्य एवं क्षेत्रीय कार्यालय गाजियाबाद एवं कानपुर से सम्बन्धित पत्रावलियों
6.	श्री अरशद हलीम, सहा0 श्रेणी-द्वितीय	परियोजना कार्यालय ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी एवं क्षेत्रीय कार्यालय ट्रांस गंगा सिटी से सम्बन्धित पत्रावलियों
7.	श्री इन्द्रवीर सिंह, सहा0 श्रेणी-द्वितीय	क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर एवं वाराणसी से सम्बन्धित पत्रावलियों एवं डाक डिस्पैच से सम्बन्धित कार्य
8.	श्री रविन्द्र कुमार, सहा0 श्रेणी-द्वितीय	क्षेत्रीय कार्यालय आगरा एवं अलीगढ़ से सम्बन्धित पत्रावलियों
9.	श्रीमती मोनिका श्रीवास्तव, सहा0 श्रेणी-द्वितीय	श्री के0 के0 गौर, अधीक्षक के साथ कार्यों के निस्तारण हेतु सम्बद्ध तथा क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ से सम्बन्धित कार्य
10.	कु0 साक्षी बाजपेई, सहा0 श्रेणी-द्वितीय	ई-आबंटन, आकलन समिति, ई-मेल प्राप्त/प्रेषित करना के साथ-साथ श्री अमित मिश्र के कार्यों में सहयोग

यह कार्यालय आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(पंकज पाण्डेय)
प्रभारी(औ0क्षे0)
दिनांक

संदर्भ सं0

/यूपीसीडा/औ0 क्षे0/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।
2. वैयक्तिक सहायक, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक कैम्प, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।
3. समस्त अधिकारी, औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।
4. समस्त सम्बन्धित कर्मचारी, औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।

(पंकज पाण्डेय)
प्रभारी(औ0क्षे0)

उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल
डेवलपमेन्ट कारपोरेशन

यूपीएसआईडीसी
काम्पलेक्स
ए-1/4, लखनपुर
पोस्ट बॉक्स नं० 1050
कानपुर-208024
दूरभाष : 2582851-53 (PBX)
फैक्स : (0512) 2580797
वेबसाइट : www.upsidc.com

सन्दर्भ संख्या

/एसआईडीसी/

दिनांक

कार्यालय आदेश

प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र के मध्य कार्य विभाजन सम्बन्धी पूर्व निर्गत कार्यालय आदेश संख्या 4854-60/एसआईडीसी/स्था0एफ0-क दिनांक 03.01.2017 को अवकमित करते हुए औद्योगिक क्षेत्रों से सम्बन्धित कार्यों के त्वरित निस्तारण हेतु औद्योगिक क्षेत्र के प्रभारियों के मध्य निम्नानुसार तत्काल प्रभाव से क्षेत्रीय/परियोजना कार्यालयवार कार्य विभाजन किया जाता है :-

श्री डी0के0 गर्ग, मुख्य प्रबन्धक (औ0क्षे0)	श्री डी0के0 सिंह प्रभारी मुख्य प्रबन्धक (औ0क्षे0)
1. कानपुर (पूर्व)/(पश्चिम)।	1. सूरजपुर।
2. लखनऊ।	2. गाजियाबाद।
3. ट्रांसगंगा।	3. साहिबाबाद।
4. अलीगढ़।	4. वाराणसी।
5. इलाहाबाद।	5. गोरखपुर।
6. ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी।	6. बरेली।
7. आगरा।	7. मुरादाबाद।
8. झॉंसी।	8. मेरठ।
9. फैजाबाद।	9. ईपीआईपी।

(रणवीर प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक

सं०सं० 62-68 /एसआईडीसी-प्र०नि० कैम्प दिनांक- 19-06-2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वित्त नियंत्रक, मुख्यालय, कानपुर।
2. महाप्रबन्धक (विधि) मुख्यालय, कानपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (परि०), मुख्यालय, कानपुर।
4. श्री डी0के0 गर्ग, मुख्य प्रबन्धक (औ0क्षे0), मुख्यालय, कानपुर।
5. श्री डी0के0 सिंह, प्रभारी मुख्य प्रबन्धक (औ0क्षे0) मुख्यालय, कानपुर।
6. समस्त अनुभागाध्यक्ष, मुख्यालय/क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता।
7. वैयक्तिक सहायक, प्र०नि० कैम्प।

(रणवीर प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक

संदर्भ सं० 2377-81/एसआईडीसी/1A/Directions to AMRHP/07-08 दिनांक 01-12-2016


कार्यालय आदेश

आबंटियों को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं/कार्यों के त्वरित निष्पादन हेतु कतिपय अधिकार प्रतिनिधायित करते हुये निर्गत किए गए कार्यालय आदेश संख्या 140-143/एसआईडीसी/प्र०नि०कै० दिनांक 23.9.2016 को निम्नवत् संशोधित किया जाता है जिससे कि सभी प्रकृति के भूखण्ड आबंटियों के विभिन्न कार्यों सम्बन्धी अनुरोध पारदर्शिता के साथ शीघ्र निस्तारित किए जा सकें :-

अ. क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी को प्रदत्त अधिकार

क्र०सं०	कार्य की प्रकृति	प्रतिनिधायन/अधिकार
1.	सभी औद्योगिक आबंटन जिनमें इकाई स्थापना हेतु नियमानुसार समय उपलब्ध/विस्तारित है तथा अन्य सभी प्रकृति के भूखण्डों हेतु नियमानुसार पट्टाविलेख का निष्पादन, कब्जा हस्तान्तरण, आरक्षण धनराशि की देय तिथि से 30 दिन(तीव्र गति के क्षेत्रों में)/60 दिन(मंद गति के क्षेत्रों में) दिनों तक (क्षेत्र की प्रीमियम दर न बढ़ने की दशा में) ब्याज सहित भुगतान स्वीकार करने का कार्य, पट्टाविलेख को आबंटि की अभिरक्षा में/वित्तीय संस्था के पक्ष में एकल/बहुपक्षीय रहन, आबंटित क्षेत्रफल में भूखण्ड के कब्जे तक ज्ञात हुई वृद्धि का नियमानुसार नियमितीकरण, औद्योगिक आबंटनों में उत्पाद परिवर्तन/अतिरिक्त उत्पाद की अनुमति.	पूर्ण अधिकार
2.	सभी प्रकृति के भूखण्डों के आबंटनों का समर्पण स्वीकार करना एवं नियमानुसार धनराशि वापस करना, जमा धनराशि में रु० 100/- तक की कमी के सम्बन्ध में डिफाल्टर वर्ग से आबंटि को हटाने सम्बन्धी कार्य।	पूर्ण अधिकार
3.	औद्योगिक आबंटनों का समय विस्तारण	आबंटन की तिथि से 04 वर्ष तक
4.	पूर्ण लेवी सहित औद्योगिक भूखण्ड आबंटनों का हस्तांतरण	एक एकड़ क्षेत्रफल तथा आबंटन की तिथि से 04 वर्ष तक
5.	यूपीएफसी/पिकप/अन्य नीलामी के हस्तांतरण के प्रकरण (पूर्ण लेवी सहित)	एक एकड़ क्षेत्रफल तक के आबंटन
6.	आबंटि की मृत्यु के उपरान्त भूखण्डों का विधिक वारिसानों के पक्ष में नियमितीकरण, पारिवारिक सदस्यों को हस्तांतरण, आबंटि का नाम परिवर्तन (बिना बहुमत अंशों में परिवर्तन के)	(क) औद्योगिक आबंटनों में एक एकड़ क्षेत्रफल तथा आबंटन की तिथि से 04 वर्ष तक (ख) एकल आवासीय भूखण्डों में पूर्ण अधिकार

AM



(Handwritten signature)

7.	औद्योगिक भूखण्डों में किरायेदारी	एक एकड़ क्षेत्रफल तक "क्रियाशील इकाईयों" की परिभाषा से आच्छादित प्रकरणों में पूर्ण अधिकार
8.	भवन मानचित्र की स्वीकृति	(क) औद्योगिक आबंटनों में एक एकड़ क्षेत्रफल तथा आबंटन की तिथि से 04 वर्ष तक (ख) एकल आवासीय भूखण्डों में पूर्ण अधिकार। (ग) अन्य प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान किये जाने के उपरान्त नियमानुसार मानचित्र स्वीकृति/अनुमोदन निर्गत करने के पूर्ण अधिकार।
9.	देयों का भुगतान न करने की दशा में सभी प्रकृति के भूखण्डों के आबंटनों का निरस्तीकरण	पूर्ण अधिकार
10.	अनुपयोगित औद्योगिक भूखण्डों के आबंटन का निरस्तीकरण	एक एकड़ क्षेत्रफल तक
11.	औद्योगिक भूखण्डों के आबंटन का पुनर्जीवीकरण	एक एकड़ क्षेत्रफल तथा आबंटन की तिथि से 04 वर्ष तक
12.	सभी प्रकृति के भूखण्डों में देयों का रिशिड्यूलमेन्ट	एक एकड़ क्षेत्रफल तथा आबंटन की तिथि से 04 वर्ष तक

ब. प्रमारी, औद्योगिक क्षेत्र को प्रदत्त अधिकार

1.	औद्योगिक आबंटनों का समय विस्तारण	आबंटन की तिथि से 10 वर्ष तक
2.	पूर्ण लेवी के सभी प्रकृति के आबंटनों का हस्तांतरण	दो एकड़ क्षेत्रफल तक
3.	यूपीएफसी/पिकप/अन्य नीलामी के हस्तांतरण के प्रकरण	दो एकड़ क्षेत्रफल तक
4.	दो वर्ष लगातार उत्पादन सहित नियमानुसार उपयोगित/"क्रियाशील इकाईयों" की परिभाषा से आच्छादित औद्योगिक भूखण्डों के आबंटन का हस्तांतरण	दो एकड़ क्षेत्रफल तक
5.	सभी प्रकृति के भूखण्ड आबंटनों में पुनर्गठन/भूखण्ड परिवर्तन/देयों का रिशिड्यूलमेन्ट	दो एकड़ क्षेत्रफल तक
6.	आबंटी की मृत्यु के उपरान्त सभी प्रकृति के भूखण्ड-आबंटनों का विधिक वारिसानों के पक्ष में नियमितीकरण, पारिवारिक सदस्यों को हस्तांतरण, आबंटी का नाम परिवर्तन(बिना बहुमत अंशों में परिवर्तन के)	दो एकड़ क्षेत्रफल तक
7.	औद्योगिक भूखण्डों में किरायेदारी	दो एकड़ क्षेत्रफल तक




8.	अनुपयोगित औद्योगिक भूखण्डों के आबंटन का निरस्तीकरण	एक एकड़ से अधिक दो एकड़ क्षेत्रफल तक
9.	औद्योगिक/एकल आवासीय भूखण्डों के आबंटन का पुर्नजीवीकरण	दो एकड़ क्षेत्रफल तक
10.	सभी प्रकृति के आबंटनों के भवन मानचित्र की स्वीकृति हेतु क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी को अनुमति देना।	दो एकड़ क्षेत्रफल तक के आबंटन

स. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक को प्रदत्त अधिकार

1.	औद्योगिक आबंटनों का समय विस्तारण	आबंटन की तिथि से 10 वर्ष से अधिक
2.	पूर्ण लेवी के सभी प्रकृति के आबंटनों का हस्तांतरण	पांच एकड़ क्षेत्रफल तक
3.	यूपीएफसी/पिकप/अन्य नीलामी के हस्तांतरण के प्रकरण	पांच एकड़ क्षेत्रफल तक
4.	दो वर्ष लगातार उत्पादन सहित नियमानुसार उपयोगित/"क्रियाशील इकाईयों" की परिभाषा से आच्छादित औद्योगिक भूखण्डों के आबंटन का हस्तांतरण	दो एकड़ से अधिक पांच एकड़ क्षेत्रफल तक
5.	सभी प्रकृति के भूखण्ड आबंटनों में पुर्नगठन/भूखण्ड परिवर्तन/देयों का रिशिड्यूलमेन्ट	पांच एकड़ क्षेत्रफल तक
6.	आबंटनी की मृत्यु के उपरान्त सभी प्रकृति के भूखण्ड-आबंटनों का विधिक वारिसानों के पक्ष में नियमितीकरण, पारिवारिक सदस्यों को हस्तांतरण, आबंटनी का नाम परिवर्तन(बिना बहुमत अंशों में परिवर्तन के)	पांच एकड़ क्षेत्रफल तक
7.	सभी प्रकृति के अनुपयोगित भूखण्डों के आबंटन का निरस्तीकरण	पांच एकड़ क्षेत्रफल तक
8.	सभी प्रकृति के भूखण्डों के आबंटन का पुर्नजीवीकरण	पांच एकड़ क्षेत्रफल तक
9.	औद्योगिक भूखण्डों पर द्वितीय इकाई की स्थापना	पूर्ण अधिकार
10.	सभी प्रकृति के भूखण्डों में कब्जा देने के पश्चात् हुई क्षेत्रफल वृद्धि का नियमितीकरण	पूर्ण अधिकार
11.	सभी प्रकृति के आबंटनों के भवन मानचित्र की स्वीकृति हेतु क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी को अनुमति देना	पांच एकड़ क्षेत्रफल तक

"सभी प्रकृति के आबंटनों" से तात्पर्य विभिन्न भू-उपयोगों यथा औद्योगिक, आवासीय, व्यवसायिक, संस्थागत तथा अवस्थापना सुविधाओं आदि हेतु किये गये आबंटनों से है। क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के प्रकरणों का निस्तारण 15 दिनों के अन्दर सुनिश्चित करेंगे तथा अन्य प्रकरणों को यथाशीघ्र मुख्यालय संदर्भित करेंगे जिससे कि उनपर अन्तिम निर्णय एक माह के अन्दर लिया जा सके। कोई भी प्रकरण उच्चतर प्राधिकारी को उसी स्थिति में अग्रसारित किया जायेगा जबकि वह प्रेषक अधिकारी के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो

अथवा कोई विशिष्ट कारण/अस्पष्टता की स्थिति हो, जिसका स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य अवशेष सभी प्रकरणों में तथा किसी अस्पष्टता की स्थिति में अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित रहेंगे तथा ऐसी सभी पत्रावलियां संयुक्त प्रबन्ध निदेशक के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को निर्णय हेतु प्रस्तुत की जायेंगी। औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर निस्तारित प्रकरणों के अभिलेख प्राप्त कर अनुश्रवण किया जायेगा।
उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(अमित कुमार घोष)
प्रबन्ध निदेशक

संदर्भ सं० 2377-81 /एसआईडीसी/1A/Direction to AM दिनांक 01-12-2016
PMB/PO-2007-08
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, कानपुर।
2. प्रभारी, औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, कानपुर।
3. समस्त अनुभागाध्यक्ष, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, कानपुर।
4. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०,
5. गार्ड फाईल।

29/11/16
(अमित कुमार घोष)
प्रबन्ध निदेशक
H
F